रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062025-263680
CG-DL-E-09062025-263680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416] नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947
No. 416] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत गठित सांविधिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2025

फा. सं. सीए/498/2025/म.स.अ.ए(विनियम).—वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20 वां) की धारा 21 के साथ पढी जाने वाली धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (ई), (जी), (एच), और (जे) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से वास्तुकला परिषद् एतद् द्वारा वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 जो भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 मे ंदिनॉक 11 अगस्त, 2020 को प्रकाशित हुए हैं में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातः—

1. (1) इन विनियमों का नाम वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2025 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2020 के परिशिष्ट–ख 2.0,क्रम संख्या सं. – अन्य टिप्पणियां (क्रम संख्या 9) के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या 9 रखा जाये :–

(1) सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक तथा प्राध्यापकों, प्राध्यापक (अभिकल्प अध्यक्ष) सहित, के शैक्षणिक पदों हेतु कार्यमुक्ति सहित सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होगी अथवा समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार होगी। कार्यमुक्ति के उपरान्त पुनः रोजगार प्राप्ति की अनुमति संस्वीकृत रिक्त–पदों के समक्ष प्रदान की जाएगी तथा संकाय संबंधित संस्थान अथवा विश्वविद्यालयों के विवेकानुसार, निरंतर 70 वर्ष की आयु तक सेवा में लगा रह सकते हैं ।

पाद टिप्पणी: मूल विनियम दिनॉक 11 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 23 मार्च 2021, 30 जून 2022, 19 जुलाई 2023 तथा 8 जुलाई 2024 को संशोधित हुए थे।

राज कुमार ओबराय, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./149/2025-26]

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Statutory Authority Constituted Under the Architects Act, 1972)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2025

F. No. CA/498/2025/MSAE(Regulations).—In exercise of powers conferred by clauses (e), (g), (h) and (j) of sub-section (2) of Section 45 read with Section 21 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Council of Architecture, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations 2020, the same having been published in the Gazette of India, Part-III-Section-4 dated the 11th August, 2020, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) (Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020, in Appendix-B, Sl.No.C – Other Notes (Sl.No 9), the Sl.No.9 shall be substituted as under:-

9. The Retirement Age including Superannuation for Teaching posts of Assistant Professor, Associate Professors and Professors, including Professor (Design Chair) shall be 65 years or as stipulated by the Central/ State Government from time to time. Re-employment after superannuation shall be permissible against sanctioned vacancies and the faculty may continue to serve, at the discretion of the concerned Institution/ University, until the age of 70 years.

Footnote: The principal Regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, on 11th August, 2020 and amended on 23.03.2021, 30.06.2022, 19.07.2023 and 08.07.2024.

RAJ KUMAR OBEROI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./149/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA